

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/1565

दिनांक 23/11/2021

प्रार्थी :-

1.जियाराम पुत्र लाखाराम
जाति जाट, निवासी जैसार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.दरा 2.भगा पि.ईशाक 3.रोशन पुत्र जामा 4.शिका
5.बिला पि.खमीशा जातियान मुसलमान 6.गंगा
7.हीरा पि.रामचन्द्र 8.अर्जुन पुत्र लाखा 9.मोती
10.पूनमा 11.कुम्भा 12.लिखमा 13.लाधा पि.प्रभू
14.सवाई 15.ईशरा 16.माना पि.पदमा 17.गंगा पत्नि
पदमा 18.राजू 19.कला पि.गुमना 20.हनुमान पुत्र
गेना 21.बाबू पुत्र नानगा 22.पुरखा पुत्र दुर्गा
23.पूनमा पुत्र कौशला, जाति जाट 24.रामा 25.माना
पि.लाधा 26.ताजा पुत्र मघा 27.डालू पुत्र लूणा
जातियान मेघवाल, निवासी जैसार, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 20/2021

दिनांक : 23.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जैसार के खेत खसरा सं. 373/20 रकबा 11.13 बीघा, खसरा सं. 386/23 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 381/23 रकबा 00.14 बीघा, खसरा सं. 395/164 रकबा 30.03 बीघा, खसरा सं. 396/164 रकबा 02.10 बीघा, खसरा सं. 391/164 रकबा 11.00 बीघा, खसरा सं. 379/27 रकबा 19.09 बीघा, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/1566 to 1569

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी जियाराम
3. विप्रार्थीगण दरा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागिरीथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 23/11/2021



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन